

(ख) अनधिकृत फेरी वालों/बैंडरों द्वारा गाड़ियों और स्टेशन परिसरों में फेरी लगाना/वस्तुओं को बेचना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 144 के अंतर्गत एक अपराध है। मूल रूप से यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है। इस बुराई को नियंत्रित करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों की सहायता से रेलवे अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है। इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध उस देश के कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। जनवरी, 1993 से नवम्बर, 1993 तक की अवधि के दौरान अनधिकृत फेरी वालों/बैंडरों के खिलाफ 52192 बार जांच की गयी, जिनके परिणामस्वरूप 16624 व्यक्तियों पर मुकदमें चलाए गए, 2353 व्यक्तियों को जेल भेजा गया और जुर्माने के रूप में 19,13,572 रु० वसूल किए गए।

गाड़ियों में निम्नस्तर का खाना आपूर्ति किया जाना

2494. श्री विठ्ठलराव भाधव राव
जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों में आपूर्ति किए जाने वाले खाने का स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बम्बई और दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में दिये जाने वाले नाश्ते का स्तर बहुत ही खराब है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका स्तर सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री क० सी० लेका) : (क) रेलें , भारतीय रेलों पर खान पान सेवाओं का संतोषजनक

स्तर प्रदान करने की आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह सजग हैं। संबंधित मामले भी उठाए गए हैं और उन पर संसद सहित विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई है।

(ख) खान-पान सेवाओं में सुधार करना एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। स्टेशनों और गाड़ियों में भोजन और मानक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रेलें निरंतर प्रयास कर रही हैं। कड़ी निगरानी के परिणामस्वरूप शिकायतों की संख्या भी घटी है। विभागीय खानपान यूनिटों को व्यावसायिक रसोइये लगाकर तथा जोरदार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से और सक्रिय बनाया जा रहा है। ख्याति प्राप्त खानपान प्रबंधकों द्वारा पहले से बनाया भोजन सप्लाई करने की एक अग्रिमगामी परियोजना शुरू करने के बारे में परिक्षण किये जा रहे हैं।

(ग) पश्चिम रेलवे के अनुसार हाल ही में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Modernisation of Signalling System

2495. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railways have embarked upon the modernisation of signalling system to meet the increasing demand of traffic, high-speed and additional safety bids;

(b) If so, what are the details in this regard;

(c) whether it is a fact that during 1992-93 large number of accidents took place due to the lack of facilities in signalling system;

(d) If so, what are the total signal centres in the various zones of the railways at present; and

(e) what is the amount likely to be spent for modernisation of the signalling system in the country?